कार्यालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, पलामू
(आपूर्ति शाखा)

प्रेस विज्ञप्ति

सरकार के सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड रांची के पत्रांक 3262/रांची, दिनांक 18.08.2016 के आलोक में बी0पी0एल0 परिवारों, जो सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना (SECC) 2011 (Rural Database) में विनिर्दिष्ट किसी एक deprivation (गरीबी) की श्रेणी में आते हैं, उन परिवारों को धुआँरहित स्वच्छ ईंधन देने की प्रक्रिया के तहत केन्द्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत मुफ्त घरेलू गैस का संयोग नहीं है, उन परिवारों को एक महिला के नाम से गैस संयोग उपलब्ध कराया जायेगा। एक ही परिवार के दो सदस्य इस योजना के लाभुक नहीं होंगे। लाभुकों के चयन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं समाज के कमजोर वर्गों के प्राथमिकता दी जायेगी।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत चयनित लाभुक का यथाशीघ्र गैस संयोग उपलब्ध कराने हेतु पलामू जिले के सभी पंचायतों के पंचायत भवन में दिनांक 28.07.2017, 29.07.2017 एवं 31.07.2017 को शिविर का आयोजन किया गया है।

अतः सभी बी0पी0एल0 परिवार की महिला सदस्य जिसके पास पूर्व से कोई एल0पी0जी0 संयोग नहीं है, वह एल0पी0जी0 संयोग के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ अपना पता जनधन/बैंकखाता संख्या एवं आधार संख्या के साथ निर्धारित तिथि को पंचायत भवन में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि से अनुरोध है कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत गैस संयोग प्राप्त करने के लिए निर्धारित तिथि को आवेदन जमा करने हेतु अपने क्षेत्र के लाभुकों को प्रेरित करेंगे तथा निर्धारित तिथि को पंचायत भवन में उपस्थित होकर सहयोग प्रदान करने का कष्ट करेंगे।

20/07/17

उपायुक्त,
पलामू।